डॉ. भारत भूषण *न्यायमूर्ति* पार्सून *के समक्ष*

महा सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा पर्यटन निगम और अन्य - उत्तरदाता

1997 का सीडब्ल्यू पी नंबर 8513

अक्टूबर 1,2013

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226* - विभागीय जांच - प्रक्रिया - याचिकाकर्ता आरोपित - उसके कथित कबूलनामे के आधार पर सामने की सेवा को खारिज कर दिया - जांच की गई और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया - कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया - अपील भी खारिज कर दी गई - रिट दायर की गई - आयोजित, बुरे परिणामों के साथ याचिकाकर्ता से मिलने के लिए, प्रवेश स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए - आगे आयोजित, जांच अधिकारी ने विभाग के गवाह को बुलाने के बजाय गवाह के कटघरे में अपराधी को बुलाया - प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - संपूर्ण जांच की कार्यवाही समाप्त - दंड देने वाले प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने भी प्रक्रिया के शार्ट सर्किटिंग पर ध्यान नहीं दिया - रिट की अनुमति दी गई।

यह माना गया कि जांच अधिकारी ने परिस्थितियों और अपराधी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में जाने के बिना, इसे उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति में आसानी से लिया। बुरे परिणामों के साथ इसके निर्माता का दौरा करने के लिए, इस तरह के प्रवेश को स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए यानी बिना किसी शर्त और स्पष्टीकरण के।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि जांच के संचालन में अपनाई गई प्रक्रिया भी अनसुनी है। जब प्रत्यावर्तन में आरोप पत्र (अनुबंध पी-3 और पी-4) की तामील की गई थी, तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्रों का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था और परिणामस्वरूप इसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.11.1993 के ज्ञापन के तहत एक जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, जांच अधिकारी को निगम और अपराधी के साक्ष्य के निष्कर्ष पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता थी। विभाग के साक्ष्य के समापन के बाद, याचिकाकर्ता को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया जाना था।

(पैरा 20)

आगे कहा गया, उस जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी -7) से पता चलता है कि [जांच अधिकारी ने मामलों को गड़बड़ कर दिया था और इसके बजाय एक रास्ता तय किया था जो पूरी तरह से अज्ञात और अनसुना है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के सबूत में विभाग के गवाहों को बुलाने के बजाय, जांच अधिकारी ने अपराधी को कठघरे में बुलाया, जबकि अपने बचाव के साक्ष्य पेश करने की उसकी बारी विभाग द्वारा साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद ही आनी थी।

(पैरा 21)

आगे कहा गया है कि जैसा कि पहले देखा गया है, न तो विभाग के साक्ष्य के लिए बुलाया गया था, न ही अपराधी अधिकारी को खुद का बचाव करने का कोई अवसर प्रदान किया गया था। बल्कि, अपराधी के खिलाफ आरोप को बनाए रखने के लिए गवाह बॉक्स में विभाग के गवाहों को बुलाने के बजाय, पहले अपराधी को खुद को गवाह बॉक्स में प्रवेश करने के लिए बनाया गया था जो विभागीय जांच करने की अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ है और इस प्रकार, पूरी जांच कार्यवाही को दूषित कर दिया है।

(पैरा 25)

आगे यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच करने के सुस्थापित सिद्धांतों और प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए अपनाए गए शॉर्टकट के परिणामस्वरूप जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच पूरी तरह से अपवित्र हो गई है।

(पैरा 26)

एन.के.नागर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

के.के.गुप्ता, प्रतिवादियों के वकील ।

डॉ. भारत भूषण प्रसून, न्यायमूर्ती

(1) याचिकाकर्ता महा सिंह, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, कामा लेक, कमल में काउंटर इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे, दुकानों में अनुलग्नक पी -5 में विस्तृत कमी के लिए (जो उनके प्रभार में था), को उनके चूक और कमीशन के कथित कृत्यों के लिए 17.11.1993 और 9.5.1994 को आरोप-पत्र दिया गया था। इन दोनों आरोप-पत्रों की जांच के बाद, उन्हें दिनांक 27.11.1995 के आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी-11) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसकी दया याचिका/अपील दिनांक 30.8.1996 (अनुबंध पी-12) को भी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 11.12.1996 (अनुबंध पी-13) को खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी के आदेश (अनुलग्नक पी -11) और आदेश (अनुलग्नक पी -13) को चुनौती देते हुए, जिसके माध्यम से उसकी अपील भी खारिज कर दी गई थी, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है जिसमें सेवा की निरंतरता और पूर्ण बैक वेतन के साथ उसकी बहाली की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता की दलीलें संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

1. नेमी ड्यूटी के निष्पादन के परिणामस्वरूप स्टॉक की कमी को दुवनियोजन के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, जिसमें स्वाभाविक रूप से बेईमानी का तत्व है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा दुकानों में सामग्री की कमी की स्वीकृति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने जवाब में और साथ ही जांच अधिकारी को विस्तार से बताई गई परिस्थितियों से परे नहीं देखा जाना चाहिए।

3. दुकानों में सामग्री की कमी से, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गबन का आरोप लिया, जैसा कि विभाग के किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के बिना भी साबित हुआ;

4. निगम के विभिन्न पर्यटक परिसरों के भंडारों में सामग्री की कमी कुछ भी असामान्य नहीं थी, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा पहनने और आंसू के रूप में एक सामान्य विशेषता थी और किसी भी मामले में, सामग्री की ऐसी कमी के परिणामस्वरूप समाप्ति नहीं हुई थी, क्या बात की जाए (ऐसे स्टोर के प्रभारी की

सेवा से बर्खास्तगी:

5. स्टॉक में पाई गई कमी के लिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के वेतन से प्रति माह 1,150/- रुपये काट रहे थे और फरवरी 1994 से नवंबर 1995 तक, उत्तरदाताओं ने पहले ही 26,450/- रुपये की राशि काट ली थी। वेतन से वसूली एक मामूली जुर्माना है और याचिकाकर्ता को यह जुर्माना लगाया गया है, बर्खास्तगी आदेश के माध्यम से फिर से दंडित नहीं किया जा सकता था।

6. 'जांच रिपोर्ट, दंड देने वाले प्राधिकारी के आदेश के साथ-साथ अपीलकर्ता दिवंगत प्राधिकारी के आदेश, गैर-बोलना; और

7. बर्खास्तगी का दंड देना असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के अलावा, प्रकृति के सिद्धांतों को भी लागू करता है।

(3) याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन करते हुए, उत्तरदाताओं का रुख यह है कि बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया गया था और वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जहां याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण और असफल अवसर प्रदान किया गया था। यह विस्तार से बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने सहायक पर अपनी जिम्मेदारी को कम करने की कोशिश की थी, जबकि स्टॉक (जहां कमी पाई गई थी) सीधे उसके प्रभार में थी। सजा आदेश (अनुलग्नक पी -11) और अपीलीय आदेश (अनुलग्नक पी -13) की वैधता और वैधता पर जोर देते हुए और याचिकाकर्ता के सभी आरोपों से इनकार करते हुए, याचिका को खारिज करने की मांग उत्तरदाताओं द्वारा की गई थी।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को पेपर बुक पढ़ते समय सुना गया है।

(5) जबकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अरक्षित याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के संचालन के मानक डोमेन को पूरी तरह से अलविदा देते हुए सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था और इस प्रकार गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की कार्यवाही और अपील में परिणामी दंड आदेश और आदेश खराब हो गया है, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की दलील यह है कि जब अपराधी ने

जांच में आरोपों के कारण, उनके खिलाफ साबित होने के लिए और कुछ नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि प्रवेश सबसे अच्छा प्रमाण है क्योंकि यह इसके लेखक द्वारा अपने स्वयं के हित के खिलाफ किया गया है। सजा के आक्षेपित आदेशों की वैधता और वैधता के साथ-साथ अपील में पारित एक आदेश पर भी जोर दिया जाता है।

(6) इससे पहले कि पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों का मूल्यांकन तथ्यात्मक मैट्रिक्स और उपस्थित परिस्थितियों के इंटरफेस में किया जाए, आरोपों का जायजा लेना उचित होगा (जो प्रतिवादियों को विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित करना था) और जांच में कार्यवाही कैसे की गई, इसकी जांच करना।

7. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप इस प्रकार थे:

(1) <u>पहली चार्जशीट में आरोपों का बयान:</u>

"7 पर औचक निरीक्षण के दौरान। जे *0.* श्री महा सिंह *(*स्टोर कीपर*)* के विरुद्ध *820784* रुपए की राशि के गबन के मामले में जेआई *993,* दुवनियोजन*,* गबन की सूचना मिली है।

(2) <u>दूसरी चार्जशीट में आरोपों का बयान:</u>

"(i) उसके द्वारा निगम के धन का *18,403.85* रुपये का दुवनियोजन/गबन क्योंकि अनुबंध *'*ए*'* में दिए गए विवरण के अनुसार आइटम प्रभार सौंपने के समय स्टोर में कम पाए गए थे*;* और

(3) कि वह *17.11.93* से *16.1.94* तक बिना किसी सीमा/अधिकृत/स्वीकृत अवकाश के विधिवत अनुपस्थित रहे।

(8) तथ्य विवाद में नहीं हैं। दिनांक 07.10.1993 को भौतिक सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता के प्रभार के तहत 8,207.84 रुपये मूल्य की सामग्री कम पाई गई। इस चूक के लिए 17-11-1993 को यूसेज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। भंडारों में पाई गई और कमी के लिए उन्हें 9-5-1994 को एक और आरोप-पत्र दिया गया। दूसरे आरोप-पत्र में निगम की 18,403.85 रुपए की धनराशि का दुवनियोजन किया गया था और उन पर 17.11.1993 से 16.1.1994 तक बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का भी आरोप था।

(9) दोनों आरोप-पत्रों के अपने जवाब में, याचिकाकर्ता ने उन परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया था जिनके परिणामस्वरूप दुकानों में कमी हुई थी। उन्होंने ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति की परिस्थितियों के बारे में भी बताया था। वीडियो संचार

(ख) दिनांक 17-11-1993 के रिट याचिका (सिविल) सं 17-11-1993 के रिविजनल मैनेजर हरियाणा पर्यटन निगम, कैथल को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और

रिपोर्ट (अनुबंध पी-8) के तहत जांच पूरी करने के बाद, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध आरोपों का दोषी ठहराए बिना, उसे उत्तरदायी ठहराया गया।

(10) रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए और उससे सहमत होकर, दंड देने वाले प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को उस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था और जवाब प्राप्त होने पर, बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी -11) पारित किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को भी अपीलकर्ता प्राधिकारी ने अनुबंध पी-13 के माध्यम से खारिज कर दिया था।

(11) 11) याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यांकन के लिए उठाए गए स्टैंड से पहले, जांच रिपोर्ट की सामग्री के माध्यम से देखना उचित होगा जो बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश की नींव बनाता है। त्वरित संदर्भ के लिए जांच रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

आरोप पत्र ENDST.NO के माध्यम से अवगत कराया गया।
एचटीसी/92/एडीएमएन-53108-09 दिनांक सीएल इंडीगढ़ 17-11-93।

<u>आरोप नंबर 1:</u>

कामा झील स्थित मुख्य स्टोर के दिनांक 7.10.93 को औचक निरीक्षण के दौरान 8207/86 रुपए मूल्य की कमल सामग्री कम पाई गई है।

इस आरोप के संबंध में श्री महा सिंह ने कमी को स्वीकार कर लिया है। उनका तर्क कि कमी जानबूझकर नहीं की गई थी या उनके सहायक की लापरवाही के कारण थी, अपील नहीं कर रही थी। प्रभारी होने के नाते वह उसी के लिए जिम्मेदार है।

आरोप पत्र सं. एचटीसी-93/स्था-1 7993-94 दिनांक
चंडीगढ़ THE9.5.94

<u>चार्ज नंबर 2</u>

निगम की राशि का दुवनियोजन 18403- 85 पैसे।

इस आरोप में श्री महा सिंह ने कमी को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिगरेट, वेफर और मिनरल वाटर की मात्रा को बिक्री मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे कभी बेचे नहीं गए थे और क्रॉकरी असर लोगो रेस्तरां और मोटल में आपूर्ति की गई थी

उचित इंडेंट के बिना वापसी योग्य आधार। यह बहुत स्पष्ट है कि श्री महा सिंह ने कमीशन और चूक का कार्य किया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

<u>चार्ज नंबर 3</u>

श्री महा सिंह दिनांक 17.11.93 से 16.1.94 तक विधिवत रूप से अनुपस्थित रहे।

जांच के दौरान, यह बहुत स्पष्ट था कि वह बिना किसी सूचना/अधिकृत स्वीकृत छुट्टी के छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन श्री महा सिंह ने कहा है कि जिन परिस्थितियों ने उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा है कि

16.11.1993 को उन्हें अपने घर से एक संदेश मिला कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। दिनांक 17-11-93 को वह स्वयं बीमार पड़ गए और 16-1-94 तक बीमार रहे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने शामिल होने की तारीख तक कमजोरी के कारण अपनी लंबी बीमारी के बारे में अपने प्राधिकरण को सूचित नहीं कर सके। यहां तक कि शामिल होने के बाद भी उन्होंने चार्जशीट जारी करने के बाद ही प्राधिकरण को कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, उन्होंने आई लीड क्वार्टर चंडीगढ़ को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया है। (महत्व दिया)

(12) लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 3 से निकाले गए उत्तरदाताओं की आसानी का सार निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"3. अन्यथा भी, याचिकाकर्ता को योग्यता पर कोई आसानी नहीं है। याचिकाकर्ता को स्टोर का प्रभारी होने के नाते, सामग्री की विशिष्ट मात्रा सौंपी गई थी और यदि जांच करने पर, कमी पाई जाती है, तो इसका श्रेय सीधे याचिकाकर्ता को दिया जाता है, जो ऐसे स्टोरों का प्रभारी है और याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा की जा रही कमी को स्वीकार किया है और उसी की जिम्मेदारी ली है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को एक सजा के साथ लगाया गया था जो पूरी तरह से उचित है। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच रिपोर्ट अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है जिसे दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और उसका जवाब मांगा गया था। उन्हें दंडित करने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई थी और इसके बाद ही एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दंडित किया गया था। सजा

याचिकाकर्ता पर लगाए गए आदेश को अपीलीय प्राधिकारी ने भी बरकरार रखा। इस प्रकार, कुल परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पास कोई आसानी नहीं है, और रिट याचिका योग्यता के आधार पर भी खारिज करने योग्य है।

(13) इस संबंध में प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रतिवाद में उभरने वाले याचिकाकर्ता का रुख निम्नानुसार है:

(14) याचिकाकर्ता की ओर से गबन को स्थापित करने के लिए, जांच अधिकारी के समक्ष विभाग द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था। वास्तव में, जांच अधिकारी के समक्ष, याचिकाकर्ता के बयान के अलावा, विभाग द्वारा कोई अन्य सामग्री अस्तित्व में या उत्पादित/स्थापित नहीं है। जांच करने की प्रक्रिया का तत्काल रूप से उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाई गई सजा बहुत ही अनुपातहीन है।

(15) इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए रुख पर विचार करने का समय आ गया है। आरोप पत्र के अपने जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने प्रभार के तहत दुकानों में स्टॉक की कमी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, लेकिन इस तरह की कमी को स्पष्ट करने वाली परिस्थितियों को भी बताया है। जांच अधिकारी ने परिस्थितियों और अपराधी

द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में जाने के बिना, इसे उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति में आसानी से लिया। 'बुरे परिणामों के साथ इसके निर्माता की यात्रा करें, इस तरह के प्रवेश को स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए यानी बिना किसी शर्त और स्पष्टीकरण के।

(16) जब 8,207.84 पीएस की सामग्री की कमी के संबंध में आरोप पत्र (अनुलग्नक पी -3) और 18,403.85 पीएस की राशि के लिए सामग्री की कमी के संबंध में आरोप पत्र (अनुलग्नक पी -4) का जवाब दिया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में चूक का कोई स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश नहीं है। किसी भी तरह से, आरोप पत्र (अनुलग्नक पी -3 और पी -4) के याचिकाकर्ता के जवाब (अनुलग्नक पी -6) को दुरुपयोग/गबन की स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(17) यह भी उल्लेखनीय है कि क्रम में दर्शाए गए आरोप-पत्र (अनुबंध पी-3) और अनुबंध पी-5 और आरोप-पत्र (अनुबंध पी-4) में दर्शाई गई कमी के संबंध में एक दिन में कमी नहीं हुई थी। यह लंबे समय के दौरान था। कमी भी इस तरह की प्रकृति की नहीं थी कि इसे पूरी तरह से और विशेष रूप से याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खासकर जब स्टॉक वाले स्टोर सुबह से देर रात तक खुले रहते थे और याचिकाकर्ता को आधिकारिक तौर पर एक सहायक की सहायता भी प्रदान की जाती थी। हालांकि, स्टोर दिन-रात खुला रहता था, लेकिन याचिकाकर्ता के ड्यूटी के घंटों को इस तरह से कंपित नहीं किया गया था कि वह हर समय उपस्थित रह सके। उनकी दलील यह है कि 'स्टोर' की एक चाबी उनके साथ जुड़े सहायक के पास भी रहती थी और वह अकेले याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में सामग्री जारी करते थे और यहां तक कि कुछ इंडेंट भी खो देते थे जिनके खिलाफ सामग्री रसोई में काम करने वाले इंडेंटिंग अधिकारियों को जारी की गई थी। याचिकाकर्ता के इस तरह के पिकास की प्रतिवादियों द्वारा जांच नहीं की गई थी।

(18) इस स्तर पर, आरोप पत्र के लिए उनके उत्तर (अनुलग्नक पी -6) का प्रासंगिक हिस्सा नीचे के रूप में संलग्न है:

> "दुकान की एक चाबी हेल्पर के पास थी। 11c आमतौर पर मेरी अनुपस्थिति में माल जारी करता था और कुछ इंडेंट खो देता था। इस संबंध में जांच की जा सकती है और उपभोग रजिस्टर में मांगपत्रों से प्राप्तियां प्राप्त होती हैं और भंडार रजिस्टर से इसी अवधि के इंडेंट से जारी की जाती हैं। बताई गई अधिकांश कमी को गिना जाएगा।

(19) उत्तर का यह हिस्सा न केवल दुकानों में किराने की वस्तुओं की सामग्री की कमी का मामला बताता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि यह कमी की पूर्ण स्वीकारोक्ति का मामला नहीं था, आरोप पत्रों (अनुलग्नक पी-3 और पी-4) में उल्लिखित कथित दुवनियोजन/गबन का तो बिल्कुल भी नहीं। यह ध्यान देने योग्य होगा कि आरोप पत्र (अनुलग्नक पी-3), दुकानों की 16 वस्तुओं में कमी पाई गई, जबकि चार्ज-शीट (अनुलग्नक पी-4) के लिए, स्टोर की 69 वस्तुओं में ऐसी कमी पाई गई।

(20) विभिन्न मदों की कमी की व्याख्या करते हुए, जैसा कि उनके उत्तर से उद्धृत हिस्से में देखा गया है, याचिकाकर्ता द्वारा विस्तृत जांच की मांग की गई थी, लेकिन

जाहिर है, उत्तरदाताओं द्वारा ऐसी कोई विस्तृत जांच नहीं की गई थी। यहां तक कि क्रॉकरी, मिनरल वाटर, बेसन आदि जैसी अन्य वस्तुओं की कमी के संबंध में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ खुलासा किया था कि कभी-कभी क्रॉकरी आदि को पर्यटक परिसर के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए और एक विशिष्ट दिन पर छोटी अवधि के लिए उपयोग करने के लिए ऋण पर लिया जाता था, लेकिन स्टोर में इसकी भरपाई नहीं की जाती थी। संक्षेप में, यह स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति का मामला नहीं था और जांच अधिकारी पूरी तरह से गलत आधार पर आगे बढ़ा था। जांच अधिकारी आगे नहीं बढ़े और निगम के उचित साक्ष्य प्राप्त किए बिना, याचिकाकर्ता के उत्तर के आधार पर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया, जिसे जांच अधिकारी द्वारा केवल आंशिक रूप से पढ़ा गया था और पूरी तरह से नहीं।

(21) जांच के संचालन में अपनाई गई जीवंत प्रक्रिया अनसुनी है। जब आरोप पत्र (अनुबंध पी-3 और पी-4) की तामील के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्रों का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप उसे अस्वीकार कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.11.1993 के ज्ञापन के तहत एक जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई, तो जांच अधिकारी को निगम और अपराधी के साक्ष्य के निष्कर्ष पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता थी। विभाग के साक्ष्य के समापन के बाद, याचिकाकर्ता को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया जाना था।

(22) जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-7) से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने मामलों को गड़बड़ कर दिया था और इसके बजाय एक रास्ता तय किया था जो पूरी तरह से अज्ञात और अनसुना है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के सबूत में विभाग के गवाहों को बुलाने के बजाय, जांच अधिकारी ने अपराधी को कठघरे में बुलाया, जबकि अपने बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने की उसकी बारी विभाग द्वारा साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद ही आनी थी। यह ध्यान देने योग्य होगा कि भले ही जांच अधिकारी ने गवाह के कठघरे में अपराधी अधिकारी को बुलाकर गलत तरीके से गाड़ी को घोड़े के आगे रखा था, लेकिन फिर भी, याचिकाकर्ता का रुख वही रहा जो उसके द्वारा जवाब में बताया गया था (अनुलग्नक पी -6)। मैंने उनके रुख को दोहराया कि कमी धोखाधड़ी या दुवनियोजन का पता लगाने के कारण नहीं थी, बल्कि उनके सहायक की लापरवाही के कारण हुई होगी, जिसे याचिकाकर्ता को स्टोर के प्रबंधन में और विशेष रूप से उसकी अनुपस्थिति में मदद करने के लिए प्रदान किया गया था। दोषी अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया था कि स्टॉक में पाई गई कमी को प्रतिवादी-निगम द्वारा हर महीने उसके वेतन से की गई कटौती से पूरा किया जा रहा था।

(23) जब अपराधी उत्तरदाताओं के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष और पारदर्शी रहा है और जांच के दौरान भी, उत्तरदाताओं का संस्करण न तो सही है और न ही स्पष्ट, प्रदर्शित करने के लिए, तैयार संदर्भ के लिए लिखित बयान में निहित प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 2 के प्रासंगिक भाग को नीचे संलग्न किया गया है:

> "वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कानून की उचित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद दंडित किया गया था और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण और निष्पक्ष अवसर दिया गया था। विभागीय जांच के दौरान दोनों

पक्षों ने अपने साक्ष्य पेश किए।

(24) लिखित बयान में ली गई प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 3 का एक और हिस्सा नीचे दिया गया है:

> "याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बचाव पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच रिपोर्ट अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है जिसे दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और उसका जवाब मांगा गया था। मुझे दंडित करने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई थी और इसके बाद ही एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दंडित किया गया था।

(25) जब जांच अधिकारी द्वारा जांच के वास्तविक आचरण के इंटरफेस में उत्तरदाताओं के रुख का मूल्यांकन किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि उत्तरदाताओं का यह कथन कि जांच अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था और याचिकाकर्ता को विधिवत रूप से अपना बचाव करने का अवसर दिया गया था, पूरी तरह से गलत और रिकॉर्ड के खिलाफ है।

(26) जैसा कि पहले देखा गया है, न तो विभाग के साक्ष्य मांगे गए थे, न ही अपराधी अधिकारी को खुद का बचाव करने का अवसर प्रदान किया गया था। बल्कि, अपराधी के विरुद्ध आरोप को बनाए रखने के लिए विटनेस बॉक्स में विभाग के गवाहों को बुलाने के बजाय, पहले अपराधी को स्वयं गवाह के कटघरे में प्रवेश करने के लिए कहा गया जो विभागीय जांच के संचालन की सुस्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध है और इस प्रकार, इसने पूरी जांच कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

(27) प्रतिवादियों के विद्वान वकील इस न्यायालय के समक्ष यह इंगित नहीं कर पाए हैं कि कैसे जवाब (अनुलग्नक पी -6) और फिर से जांच के दौरान लिए गए अपराधी के बयान (हालांकि कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ) को उसके खिलाफ दुरुपयोग/गबन के दोषी के आरोप की स्वीकारोक्ति के रूप में लिया जा सकता है। कल्पना के किसी भी खिंचाव से, जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए याचिकाकर्ता द्वारा अपराध के प्रवेश का ऐसा निष्कर्ष किसी भी विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता था। न तो जिन परिस्थितियों में कमी हुई थी (जैसा कि अपराधी द्वारा समझाया गया था) जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और न ही कोई तथ्य-खोज जांच, जैसा कि अपराधी द्वारा मांगी गई थी, विभागीय जांच से पहले हुई थी। जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच करने के सुस्थापित सिद्धांतों और प्रक्रिया को निरस्त करते हुए अपनाए गए शॉर्टकट के परिणामस्वरूप जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच पूरी तरह से अस्वीकृत हो गई है।

(28) यह भी देखा जा सकता है कि न तो दंड देने वाले प्राधिकारी और न ही अपीलकर्ता दिवंगत प्राधिकारी ने अपराधी द्वारा विश्वसनीयता के स्पष्टीकरण के विवरण में जाना और न ही जांच अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया के शॉर्ट-सर्किट पर ध्यान दिया और न ही अपराधी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया।

(29) जब इस मामले को उत्तरदाताओं की ओर से देखा जाता है, तो यह पता चलता है कि सामग्री में कमी को पैसे के मामले में परिमाणित किया गया था, याचिकाकर्ता के वेतन से की गई नियमित मासिक कटौती द्वारा पहले ही भरपाई कर दी गई थी, इस प्रकार, उसे उस आधार पर दंडित किया गया था। इस संबंध में प्रतिवादियों का रुख भी स्पष्ट है जैसा कि लिखित वक्तव्य के पैरा 6 में उल्लेख किया गया है। इसे नीचे के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "रिट याचिका के पैरा -6 की सामग्री ने इस हद तक स्वीकार किया कि कमी को किश्तों में याचिकाकर्ता के वेतन से वसूल किया गया था।

(30) मैंने याचिकाकर्ता के वेतन से धन (सामग्री की कमी के संबंध में) के संदर्भ में नुकसान की वसूली की है, गबन या दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है। किराने की वस्तुओं की कमी (जिसकी विधिवत भरपाई कर दी गई थी) को गबन/दुवनियोजन में आसानी के रूप में लेने में उत्तरदाताओं का रुख भी असमर्थनीय है।

(31) जहां तक छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के आरोप का संबंध है, तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि उसके उत्तर (अनुलग्नक पी -6) से भी स्पष्ट है और आई जांच अधिकारी (अनुबंध पी -8) के समक्ष दिए गए उसके बयान में भी स्पष्ट है, लेकिन इस पहलू पर आवश्यक विचार नहीं किया गया था। किसी भी तरह से, जांच रिपोर्ट (अनुबंध पी -8) में, जांच अधिकारी द्वारा दूसरी चार्जशीट (अनुबंध पी -4) में ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप का कोई पता नहीं लगाया गया है। आक्षेपित दंड आदेश (अनुबंध पी-1 I) के साथ-साथ अपीलीय आदेश (अनुबंध पी-13) में भी ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोप का कोई नोटिस नहीं लिया गया है।

(32) जब उत्तरदाताओं के आचरण की आगे जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि दुकानों में सामग्री की कमी को नियमित मामले के रूप में लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप कभी भी किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी नहीं हुई थी। प्रतिवादी नंबर 1 से मंडल प्रबंधक, हरियाणा पर्यटन निगम को एक पत्र। (अनुबंध पी-14) से पता चलता है कि कमी के मामले में

उक्त अधिकारियों के खाते से आगे की वसूली रोक दी गई और शेष राशि को बट्टे खाते में डालने का आदेश दिया गया। काउंटर प्रभारी संजय कुमार द्वारा माल के गबन के एक अन्य मामले में, जिन्हें आरोप पत्र (अनुलग्नक पी -16) के साथ परोसा गया था, केवल उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी देकर, उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा छोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता के मामले को क्यों और कैसे अलग तरीके से निपटाया गया है, जिससे उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, यह अस्पष्ट है।

(33) पहले चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं। इसलिए, बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश (अनुबंध पी -13) को रद्द किया जाता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता को सेवा में जारी रखने के लिए माना जाएगा और सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा और यदि वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया है, तो यह उस तारीख तक ही सीमित होगा। दो महीने के भीतर @ 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ एक करीबी का भुगतान किया जाएगा। यदि भुगतान दो महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो ब्याज @ 12% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

(34) रिट याचिका को उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण**:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

असंध**,** कर्नल
हरियाणा